न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, सह–विशेष न्यायाधीश,बिहारशरीफ,नालन्दा।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 82/2026

मो0 मंसूर आलम एवं 04 अन्य बनाम बिहार सरकार

नूरसराय थाना कांड सं0 644/2025

अंतर्गत धारा 191(2), 190, 126(2), 115(2), 303(2), 109, 351(2), 352 B.N.S

10.03.2026

अभियुक्त **मो0 मंसूर आलम, मो0 आकिब आलम, मो0 आशिक आलम, बेगम परवीन एवं तरन्नुम परवीन** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री अरविंद कुमार तथा विद्वान लोक अभियोजक श्री अनुज कुमार का तर्कपूर्ण बहस सुना ।

अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि दिनांक 14.12.2025 सुबह 07:00 बजे सूचक एवं उनके भाई मो0 ताहिब नूरसराय मंडी सब्जी बेचने आए तो मो0 मंसूर कासिम, मो0 आशिक, मो0 आकिब, बेगम प्रवीण, तरनुम प्रवीण है। मो0 आकिब ने सूचक से दस हजार रूपया रंगदारी मांगने लगा । विरोध करने पर मो0 मंसूर सूचक के सर पर लोहे का रड से फाड़ दिया। मो0 आसिक सूचक के भाई ताहिर पर पिस्टल तान दिया। जब उनके बीच–बचाव के लिए अगल–बगल के लोग आए और जान बचाए। यह घटना सुनकर उनकी मां दोरा तो एवं बेगमी प्रवीण रास्ता में उनकी मां के साथ बुरी तरीके से मारपीट किया। चार से पांच अन्य लोग भी शामिल थे। गरीब परिवार होने के कारण ये लोग आए दिन लड़ाई–झगड़ा करते रहते है।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदकगण को झूठे व गलत आधार पर इस वाद में फंसा दिया गया है । उक्त धाराओं का अभियोग आवेदकगण के विरूद्ध बनता प्रतीत नहीं होता है। बी0एन0एस0 की धारा 109 एवं 303(2) को छोड़कर अन्य धाराएं जमानतीय प्रकृति के है। उनका यह भी कथन है कि आवेदकगण के विरूद्ध मारपीट या कोई अन्य विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया है तथा लगाए गए आरोप सामान्य व बहुप्रयोज्य है। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण को पुलिस द्वारा गिरफतार किये जाने की संभावना है । अतः आवेदकगण को अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान किया जाय ।

विद्वान लोक अभियोजक आवेदकगण के उक्त जमानत आवेदन का विरोध करते हैं ।

उभय पक्षों को सुनने के पश्चात अभिलेख तथा कांड दैनिकी का अवलोकन किया और पाया कि लिखित आवेदन में आवेदकगण के विरूद्ध मारपीट या किसी प्रकार का कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया है तथा लगाए गए अरोप सामान्य एवं बहुप्रयोज्य है । कांड दैनिकी में पैरा 15, 16 एवं 17 में जख्मियों के जख्म प्रतिवेदन का उल्लेख है जिसमें चिकित्सक द्वारा जख्म को साधारण व भोथर पदार्थ से

<u>न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, सह–विशेष न्यायाधीश,बिहारशरीफ,नालन्दा</u>।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 82/2026

मो0 मंसूर आलम एवं 04 अन्य बनाम बिहार सरकार

नूरसराय थाना कांड सं0 644/2025

अंतर्गत धारा 191(2), 190, 126(2), 115(2), 303(2), 109, 351(2), 352 B.N.S

<u>लगातार</u>

10.03.2026

कारित साधारण प्रकृति का पाया गया है। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर पूर्ण विचार करते हुए आवेदकगण को आदेश पारित होने के एक माह के अंदर, विचारण न्यायालय में आत्मसमर्पण करने या पुलिस द्वारा अभिरक्षा में लिये जाने पर, संबंधित विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर, बी0एन0एस0एस0, 2023 की धारा 482 में उल्लेखित शर्तों के अधीन आवेदकगण को 10,000/– रु0 के जमानत तथा उसी राशि समतुल्य दो प्रतिभूओं वाले बंधपत्र निष्पादित करने के उपरांत जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश दिया जाता है ।

(लेखापित एवं संशोधित)

(संजीव कुमार सिंह)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम
सह विशेष न्यायाधीश
नालन्दा, बिहारशरीफ।